"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 228] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 19 अगस्त 2010—श्रावण 28, शक 1932

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 अगस्त 2010

क्रमांक 10137/197/21-अ/प्रा./छ. ग./10.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 16-08-2010 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. पाराशर, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 18 सन् 2010)

हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ (संशोधन) अधिनियम, 2010

हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ अधिनियम, 2003 (क्रमांक 10 सन् 2003) को संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. 1. (1) यह अधिनियम हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ (संशोधन) अधिनियम, 2010 कहलाएगा.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 7 का संशोधन. 2. हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ अधिनियम, 2003 (क्रमांक 10 सन् 2003) की धारा 7 की उपधारा (1) में शब्द "भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष होंगे," के स्थान पर शब्द "भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति अथवा उनके द्वारा नामित, जो भारत के उच्चतम न्यायालय के आसीन न्यायाधीश हों, विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष होंगे" प्रतिस्थापित किया जाये.

रायपुर, दिनांक 18 अगस्त 2010

क्रमांक 10137/197/21-अ/प्रा./छ. ग./10.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ (संशोधन) अधिनियम, 2010 (क्रमांक 18 सन् 2010) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. पाराशर, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 18 of 2010)

HIDAYATULLAH NATIONAL UNIVERSITY OF LAW CHHATTISGARH (SANSHODHAN) ACT, 2010

An Act to amend the Hidayatullah National University of Law Chhattisgarh Adhiniyam, 2003 (No. 10 of 2003).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-first Year of the Republic of India as follows :-

Short title and Commencement.

1. (1) This Act may be called the Hidayatullah National University of Law Chhattisgarh (Sanshodhan) Adhiniyam, 2010.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of Section 7.

2. In sub-section (1) of Section 7 of the Hidayatullah National University of Law Chhattisgarh Adhiniyam, 2003 (No. 10 of 2003) for the words "The Chief Justice of the Supreme Court of India shall be the Visitor of the University" the words "The Chief Justice of the Supreme Court of India or his nominee, who shall be a sitting Judge of the Supreme Court of India shall be the Visitor" shall be substituted.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.